

मूल याद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

पवन कुमार व पृथ्वीराज बर्नाम 1. पृथ्वीराज व पुत्र कुतचन्द भारि
भारि दिम्पा निपामी नेठराना दिम्पा मिठ नेठराना आदि
दावा बाबत :- 88 RTA 4
मुकदमा नम्बर :- 243/21
निर्णय दिनांक :- 16/12/21

वादी की ओर से वकील मुन्नीराज गोस्वामी की व प्रतिवादी सं०..... की ओर से वकील सुष्मा स्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16/12/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

मुन्नीराज गोस्वामी आरिड जीपी डिप्लोमा नाम रोही भोजा वरु 10 NTR के खाता सं० 44/38 के मुकदमा 42, 43, 44, 45 की वरु 6.603 हेक्टर वाद भूमि जो पृथ्वीराज के नाम राजस्व रिपोर्ट में दर्ज है उसमें परिवारी सं०। पृथ्वीराज जी वजाप वादी पवन कुमार व पृथ्वीराज व पृथ्वीराज को बहिष्कार कराए के अनुसार खातेदार करदाता घोषित डिप्लोमा को खंडि पृथ्वीराज व पुत्र ने अपना हक दिम्पा वादी व पृथ्वीराज के पुत्र में त्याग का दूज्य का सिपा है, इस लिए त्याग डिप्लोमा निपमानुसार पंजीपन दूज्य अदा करने व धरि भूमि बेक रख है तो रख भुक्त होने पर निपमानुसार उपरोक्त कुतचन्द पृथ्वीराज राजस्व रिपोर्ट उक्त डिप्लोमा वादी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 16/12/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़